न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2019/00139

अपील संख्या – 51/19

विजय कुमार शुक्ला पुत्र हजारी लाल जाति ब्राहम्ण निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. विजयसिह पुत्र सुबुद्वी राम जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. अशोक कुमार पुत्र हजारी
3. लखन पुत्र हजारी
4. कैलाश चंद पुत्र ब्रहमानंद
5. नित्यानंद पुत्र ब्रहमानंद जातियान ब्राहम्ण निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 104/17 निर्णय दिनांक 4.9.19 न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री शांति स्वरूप शुक्ला

अभिभाषक रैस्पो0 1की और से श्री सीताराम गुर्जर

रेस्पो0 2 ता 5 की और से कोई उपस्थित नही।

दिनांक 04.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 4.9.19 न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहसीलदार हिण्डौन सिटी के यहॉ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 (ख) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 612 रकबा 0.31 ऐयर ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी मे स्थित है। जिसका आवेदक रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि मे सिचाई का साधन नही होने के कारण विगत 3–4 वर्षो से पडत पडी हुई है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण ने नाजायज रूप से गिरोह बना रखा है तो गरीब लोगो की जमीन जायदाद को पैसे व ताकत के बल पर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक मे रहते है। आवेदक अनुसूचित ज.. का सदस्य है एवं प्रतिवादीगण जाति से ब्राहम्ण है। प्रतिवादी न0 4 राजस्व कर्मचारी पटवारी है जो अन्य [illegible] मिला हुआ है। भूमि खसरा न0 612 रकबा 0.31 ऐयर हिण्डौन सिटी से गंगापुर सि[illegible] जाने वाले रोड के सहारे स्थित होने से बेशकीमती भूमि होने के कारण प्रतिवा[illegible] बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने उक्त भूमि के 2 ऐयर रकबा पर ट[illegible] डालकर व प्रतिवा[illegible] संख्या 4 व 5 ने अपनी रिहायश के सहारे आवेदक की भूमि को दबाते हुए पाटोर डालकर पु[illegible] बाउन्ड्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बाल बनाकर अतिक्रमण किया है व बिना किसी विधिक अधिकार के अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर आधिपत्य जमाऐ हुए है। आवेदक द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिवादी से निवेदन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गई कि शेष रही भूमि पर भी अतिक्रमण कर आवेदक को बेदखल कर देगे। इसलिए आवेदक की भूमि ख0न0 612 रकबा 0.31 ऐयर ग्राम जमालपुर से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर आवेदक का कब्जा कराया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 447 के तहत कार्यवाही कर दण्डित किया जावे। इस प्रकार की प्रार्थना प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहसीलदार हिण्डौन से की गई। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील संख्या 104/17 अति0 जिला कलेक्टर करौली के यहॉ पेश की गई। अति0 जिला कलेक्टर करौली द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 4.9.19 को खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त प्रकरण मे सारी कार्यवाही एक तरफा मे की गई है, अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता लगातार प्रकरण मे उपस्थित रहे है , तहसीलदार ने स्वयं मौका मुआयना करने हेतु पत्रावली को तारीख पेशी नियत कर रखी थी। लेकिन तहसीलदार कभी मौके पर नही पधारे, अपीलांट उनके इंतजार मे रहा परन्तु अचानक पत्रावली तलब कर बिना जबाब रिकार्ड पर लिये व गवाहान के बयान दर्ज किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण तारीख पेशी से हि[illegible]ने के बाद पुनः पक्षकारान को तारीख पेशी पर आने हेतु नोटिस जारी करने चाहिए थे। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांट व अन्य रेस्पो0 को कोई नोटिस जारी नही कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर एक तरफा मे तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। जो नेसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नही किया कि ख0न0 612 रकबा 31 ऐयर वाके तन जमालपुर तहसील हिण्डौन मौके पर जनता के रास्ते के रूप मे प्रयोग हो रहा है उक्त ख0न0 सायल या उसके पूर्वजो का विगत 30 सालो से अधिक समय से कोई कब्जा नही है, इसलिए प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे भी उक्त ख0न0 [illegible] जाना बताया गया है जो लोगो के आने जाने के प्रयोग [illegible] आ रहा है। किसी प्र[illegible] का कोई अतिक्रमण नही है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय हर दो [illegible] किये जाने योग्य है। अपीलांट/विपक्षी संख्या 1 का 10X40 का निर्माण उक्त ख0न0 612 मे पटवारी हल्का द्वारा बताया गया है जो प्रार्थी ने सायल विजय सिह पुत्र सुबुद्वि व [illegible]रूप पुत्र दोजी से दिनांक 30.9.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2020.0[illegible].16 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

09 को वास्ते आवासीय प्रयोजन बिल एवज 75000/–रूपया मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थी अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नही है। वरन सायल द्वारा उक्त भूमि क्रय करने पर विधि अनुसार कब्जा प्राप्त कर 10X40 फीट मे दीवार व टीनेसेड का निर्माण किया है, सायल ने उक्त तथ्यो को अपने प्रार्थना पत्र मे छिपाया है। तथा जानबूझकर अदालत को उक्त तथ्यो के ज्ञान से वंचित किया है इस प्रकार सायल न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन मे क्लीन हैण्ड से नही आया इसलिए धारा 183 बी का प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय हर दो अदालत के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। सायल की आराजी ख0न0 612 व मिन अपीलांट की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 610 व 611 आपस मे मिली हुई है जिनका सीमाज्ञान पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर नही किया। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उक्त निर्माण अपीलांट का ख0न0 611 की सीमा मे हो। इसलिए ख0न0 610,611 व 612 का विधि अनुसार नाप तोल कर सीमा ज्ञान होना आवश्यक है। जिसके बाद ही न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन को किसी समुचित निर्णय पर पहुँचता। परन्तु तहसीलदार द्वारा पत्रावली अचानक तलब कर एक तरफा मे अपीलांट के पिछे से निर्णय पारित कर दिया जिसके कारण अपीलांट के साथ घोर अन्याय हुआ है, गिरदावर सर्किल उक्त निर्णय की पालना मे मौके से बेदखल करने व अपीलांट के निर्माण को तोडने पर आमादा है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय हर दो अदालत के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण हाजा मे विपक्षी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे सह खातेदार स्वरूप पुत्र दोजी को ना तो सायल बनाया है ना ही गैर सायल बनाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आवश्यक पक्षकार के अभाव मे चलने योग्य नही था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन ने आलोच्य निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। सहखातेदार को सुना ही नही गया। सहखातेदार स्परूप पुत्र दोजी ने अपीलांट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मे पेश किये गये दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे अपने जबाब दावा व जबाब टी आई मे जो स्वयं स्परूप जाटव व रेस्पो0 संख्या 1 विजय सिह द्वारा जो एग्रीमेंट लिखा है उसके बारे मे इकवाली जबाब देकर के स्वयं रूपरूप व विजयसिह द्वारा अपीलाट को बेचान करना स्वीकार किया है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय हर दो अदालत के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा न0 612 रकबा 31 ऐंयर मे से भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 30.9.09 को जरिये एग्रीमेट क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। मौके पर मकानात बने हुए है । तहसीलदार द्वारा एक तरफा मे निर्णय पारित किया है। जिरह नही की है। खातेदार का 20 साल से कब्जा नही है। समस्त जमीन रास्ते के उपयोग मे आ रही है पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट मे भूमि को रास्ते मे आना बताया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर हर दो अदालत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर करौली दिनांक 4.9.19 मु.न. 104/17 तथा न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन निर्णय दिनांक 2.[illegible].16 मु.न. 1/15 [illegible] किया जावे तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई व साक्ष्य हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कतई बनावटी कथन दर्ज करते हुए प्रस्तुत की गई है। जो खारिज किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाने योग्य है। अपीलार्थी ने रेस्पो0 विजय सिह की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 612 रकबा 31 ऐयर स्थित गंगापुर सिटी रोड के सहारे ग्राम जमालपुर के 40X10 फिट नाप मे बिना किसी हक व अधिकार के ईटो की दीवार बनाकर टीनशेड डालकर विधि एवं नियम विरूद्व रेस्पो0 विजयसिह की अनुपस्थिति मे अवैध कब्जा कर लिया। रेस्पो0 विजय सिह की और से अपीलार्थी के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन मे प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली भूमि अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 7.7.15 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 विजय सिह की खातेदारी की भूमि पर अवैध कब्जा कर नवीन निर्माण होना पाया गया है। तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 विजय सिह का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.16 को स्वीकार फरमाया जाकर बेदखली का आदेश प्रदान किया गया है। अपीलार्थी विजय कुमार शुक्ला को न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन व अति0जिला कलेक्ट करौली से सफलता नही मिलने पर उक्त उनवानी अपील न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलार्थी विजय कुमार शुक्ला द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे विवादित भूमि को रिहायशी उपयोग की मानकर एक अन्य व्यक्ति रूपरूपलाल से साज कर फर्जी व बनावटी प्रतिज्ञापत्र तारीखी 30.9.09 के आधार पर रेस्पो0 के विरूद्व न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी मे मुकदमा न0 108/2019 उनवानी विजय कुमार बनाम विजय सिह वगै0 पेश किया था जो क्षैत्राधिकार परिवर्तित हो जाने पर सुनवाई हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमहावीरजी को प्राप्त हुआ है जो दीवानी वाद संख्या 44/23 पर दर्ज हुआ है। अपीलार्थी की और से विवादित भूमि के बाबत प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 44/23 उनवानी विजय कुमार शुक्ला बनाम विजय कुमार वगै0 वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 18.7.25 को खारिज हो गया है। अपीलार्थी द्वारा सही तथ्यो को छिपाकर गलत व बनावटी तथ्यो के आधार पर न्यायालय को धोखे मे रखकर विवादित भूमि के बाबत राजस्व एवं सिविल न्यायालय मे प्रकरण संस्थित किये है जिनका अंकन एक दूसरे मुकदमो मे दर्ज नही किया है। अपीलार्थी किसी भी न्यायालय म स्वच्छ आचरण से नही आया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशानुसार न्यायिक सिद्वान्त कहता है कि जो व्यक्ति अदालत से राहत चाहता है उसे पूरी सत्यता और निष्कलंक मंशा से आना चाहिए। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 के खाता संख्या 275 मे आराजी ख0न0 612 सुबुदी पुत्र नन्दू हिस्सा 1/2, विजय सिह पुत्र सुबुदीराम हिस्सा 5/12 दौजी पुत्र ग्यारसा जाति चमार हिस्सा 1/12 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त आराजी मे अपीलांट द्वारा 10X40 फिट का निर्माण उक्त खसरा न0 612 मे पटवारी हल्का द्वारा बताया है जो अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 विजय सिह व स्परूप पुत्र दोजी से दिनांक 30.9.09 को वास्ते आवासीय प्रयोजनार्थ 75000/– रूपये मे क्रय किया गया है। इस प्रकार अपीलांट किसी भी तरह अतिक्रमी नही है। पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को रिकार्ड पर नही लिया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Barot
Date: 2026.04.16 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सकता है। विधि अनुसार 100 रूपये से अधिक मूल्य की अचल सम्पति का विक्रय पत्र पंजीकृत होना अनिवार्य है। चूंकि: उक्त आराजीयात अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है जो राजस्व रिकार्ड से साबित है तथा अपीलांट स्वर्ण जाति ब्राहम्ण है। जिसको अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। जो धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 183 बी मात्र अनुसूचित जातियो की भूमियो पर अन्य जातियो के व्यक्तियो द्वारा अतिकमित करने पर उन्हे हटाने के लिए बनाई गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 183 बी के प्रावधानो के अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक निर्णय है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 104/17 मे पारित निर्णय दिनांक 4.9.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested